

सीजीटीएमएसई (सीजीएस - I) के सदस्य ऋणदात्री संस्थान (एमएलआई) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और ऋणदात्री संस्थान।

**परिपत्र संख्या 257/2025 - 26**

महोदया/प्रिय महोदय,

**निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम - निर्यात प्रोत्साहन) के तहत निर्यात ऋण के लिए ऋण गारंटी समर्थन**

सीजीटीएमएसई ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम-निर्यात प्रोत्साहन) के तहत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों को संस्थागत निर्यात ऋण की सुविधा के लिए "निर्यात ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी समर्थन" नामक एक विशेष ऋण गारंटी योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत आवेदक को डीजीएफटी पोर्टल पर निर्यात ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने से पहले सहायता प्राप्त करने के अपने इरादे को दर्शाते हुए पहले एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, आवेदन जमा करने पर एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) उत्पन्न की जाएगी। इसके बाद, आवेदक उक्त यूआईएन का संदर्भ देकर निर्यात ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए एक पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) से संपर्क करेगा। सम्यक सावधानी के साथ पात्र निर्यात ऋण सुविधा की मंजूरी मिलने पर, एमएलआई योजना के तहत गारंटी कवरेज का लाभ उठाने के लिए सीजीटीएमएसई को आवेदन प्रस्तुत करेगा। सीजीटीएमएसई डीजीएफटी पोर्टल के साथ सिस्टम-आधारित एकीकरण के माध्यम से यूआईएन को सत्यापित करेगा और सफल सत्यापन पर, योजना के तहत गारंटी कवरेज का विस्तार करेगा।

एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यातक पात्रता की पुष्टि, विवरण की शुद्धता, योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन और स्वीकृत ऋण सुविधा के साथ यूआईएन के जुड़ाव सहित यूआईएन का सत्यापन और वैधीकरण पूरी तरह से संबंधित एमएलआई पर निर्भर करेगा।

इस योजना के तहत, पात्र एमएसएमई निर्यातकों को स्वीकृत निर्यात ऋण सुविधाओं के संबंध में पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को ऋण गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी। सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए गारंटी कवरेज की सीमा 85% (सीजीटीएमएसई द्वारा 75% और डीजीएफटी द्वारा 10%) होगी। मध्यम उद्यमों के संबंध में, गारंटी कवरेज की सीमा 65 प्रतिशत होगी, जो डीजीएफटी द्वारा पूरी तरह से समर्थित होगा। एमएलआई को अलग से डीजीएफटी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सीजीटीएमएसई गारंटी जारी करेगा और योजना के तहत दावों का निपटान करेगा।

पात्रता मानदंड, कवर की गई ऋण सुविधाओं की प्रकृति, गारंटी कवरेज संरचना, शुल्क संरचना, परिचालन प्रक्रिया, दावा निपटान तंत्र और अन्य संबंधित प्रावधानों सहित विस्तृत योजना दिशानिर्देश इस परिपत्र के **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

ह/

**(धीरज कुमार)**

उप महाप्रबन्धक